5. कृत्यों के निर्वहन संबंधी धारित या उसके नियंत्रण हेतु नियम/विनियम/अनुदेश/मैन्युअल और अभिलेख –

1. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

2. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012

3. विकास योजनायें ।

भूमि उपयोग संबंधी समस्त जानकारी संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश अथवा संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेंगी ।

6. नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणी/विवरण –

अंगीकृत भू–उपयोग की जानकारी, विकास योज़ना में नियोजन एवं प्रादेशिक योजना, बजट की जानकारी ।

7. नीति का सूत्रीकरण/प्रतिपादन अथवा उसका क्रियान्वयन/परिपालन हेतु प्रबंधन/व्यवस्था संबंधी विशिष्टियाँ –

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17–क (1) की गठित समितियां ।

8. बोर्डों/परिषदों/कमेटियों तथा अन्य निकायों। दो व्यक्तियों से अधिक गठित निकायों का विवरण/ब्यौरे –

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 प्रभावशील

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17–क (1) के अंतर्गत गठित समिति जो कि अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों/सुझावों प सुनवाई हेतु गठित की जाती हैं, उनका गठन प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन के पूर्व किया जाता है। विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन उपरांत आपत्तियों एवं सुझावों के सुनवाई करती है एवं उन पर अनुशंसा संचालनालय को प्रेषित करती है। तत्पश्चात संचालनालय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर शासन से अनुमोदन उपरांत विकास योजना प्रकाशन किया जाता है। इस प्रकार ये समितियां विकास योजनाओं के प्रारूप प्रकाश एवं अनुमोदन के अंतराल में ही क्रियाशील रहती हैं ।

अधिनियम के तहत 10 विकास प्राधिकरण एवं 6 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित है